महत्वपूर्ण

निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पत्रॉक/ E-1241 /बा0वि0परि0/अवकाश/2021-22 दिनांक 24 जनवरी, 2022

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी
उत्तर प्रदेश।

विषय-: कोविड-19 के संक्रमण के दृष्टिगत् आंगनबाड़ी केन्द्रों को दिनांक 30.01.2022 तक बन्द किये जाने के सम्बन्ध में।

अपर मुख्य सचिव, गृह (गोपन) अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-100/2022-सी0एक्स-3, दिनांक 16.01.2022 तथा निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या-सी0-1226/बा0वि0परि0/आ0बा0केन्द्र/2021-22 दिनांक 17.01.2022 द्वारा प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों को दिनांक 17.01.2022 से 23.01.2022 तक बन्द रखने के निर्देश दिये गये थे। अपर मुख्य सचिव (गृह) उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-132/2022-सी0एक्स-3, दिनांक 22 जनवरी 2022 द्वारा इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया हैं कि सभी शैक्षणिक संस्थान अब दिनांक 30.01.2022 तक बन्द रहेगें। उक्त के क्रम में प्रदेश के समस्त आंगनबाड़ी केन्द्र उपरोक्त अवधि में बन्द रखे जायेगें। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र खोलकर अनुपूरक पोषाहार को प्राप्त किया जायेगा और कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए विभाग के लाभार्थियों तक टेक होम राशन को डोर-टू-डोर वितरण किया जायेगा।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि 30.01.2022 तक समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों को बन्द रखा जाये तथा उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित् किया जायें।

(डा0 सारिका मोहन)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या- /तद्दिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(डा0 सारिका मोहन)
निदेशक

संख्या— 132 /2022—सीएक्स—3

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त/अपर पुलिस महानिदेशक, समस्त जोन, उत्तर प्रदेश।
2. पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्धनगर/कानपुर नगर/वाराणसी।
3. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, रेंज, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

गृह (गोपन) अनुभाग—3 **लखनऊः दिनांकः 22 जनवरी, 2022**

विषयः—कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु ग्रेडेड रिस्पान्स के संबंध में दिशा—निर्देश।

महोदय,

कृपया कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु ग्रेडेड रिस्पान्स के संबंध में गृह (गोपन) अनुभाग—3 के आदेश संख्या—100/2022—सीएक्स—3, दिनांक 16.01.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा निर्गत दिशा—निर्देशों के कम में उक्त संदर्भित आदेश के बिन्दु संख्या—2 में उल्लिखित सभी शैक्षणिक संस्थान दिनांक 23.01.2022 तक पूर्णतया बन्द रहने तथा शैक्षणिक संस्थानों द्वारा आन लाइन कक्षायें जारी रखना सुनिश्चित करने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2. इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि सभी शैक्षणिक संस्थान अब दिनांक 30.01.2022 तक बन्द रहेंगे परन्तु ऑन लाइन कक्षायें यथावत् जारी रहेगी।

भवदीय,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या—132 (1)/2022—सीएक्स—3 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

(1) अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन
(3) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
(5) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव